संख्या- 21 /2023/255न0सृ0यो0/9-2-2023/1747422

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 10 नवंबर, 2023**

विषय:- मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर पालिका परिषद, मोदीनगर, जनपद-गाजियाबाद को द्वितीय/अंतिम किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-तक0सेल/282/2/न0पा0परि0/यू0सी0/2023-24, दिनांक 12.09.2023 एवं जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्र सं0-136/21-एल0बी0सी0/गा0बाद/2023, दिनांक 04.09.2023 एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर, जनपद-गाजियाबाद के पत्र सं0-703/ना0प0परि0/2023-24, दिनांक-05.10.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विस्तारित नगर पालिका परिषद, मोदीनगर, जनपद-गाजियाबाद को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों के फोटोग्राफ्स, समिति की निरीक्षण आख्या एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुये द्वितीय किश्त अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर पालिका परिषद, मोदीनगर, जनपद-गाजियाबाद को शासनादेश सं0-158/2022/4349/002-E-1672197-84ज-22, दिनांक 16.12.2022 द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त उपभोग के पश्चात जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा कार्यों को पूर्ण कराने हेतु किये गये अनुरोध के दृष्टिगत निम्न कार्यों हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की **धनराशि रू0 69,89,000.00 (रू0 उनहत्तर लाख नवासी हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 में)

क्रम0 सं0	कार्यका नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त की निर्गत धनराशि का विवरण	अवमुक्त की जा रही द्वितीय/ अंतिम किश्त की धनराशि
1	2	3	4	5
1	मोदीनगर सीमा अन्तर्गत कादराबाद सागर कालोनी में जी0 टी0 रोड सेसुनील के मकान तक व सहायक गलियों में नाली व सी0 सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	2,987,200.00	14,93,600	14,93,600
2	मोदीनगर सीमा अन्तर्गत कादराबाद जी0टी0 रोड श्याम कालोनी मेंक्रासिंग तक आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य।	2,492,900.00	12,46,450	12,46,450
3	मोदीनगर सीमा अन्तर्गत मानवतापुरी में मनोज जनरल स्टोर वाली सड़क वऋषिपाल चैधरी के मकान वाली गली में तथा अन्य सहायक गलियों में नाली वइन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का कार्य।	3,901,800.00	19,50,900	19,50,900
4	मोदीनगर सीमान्तर्गत सीकरी कलां में रामफल शर्मा के मकान से रमेशके मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क का कार्य।	944,300.00	4,72,150	4,72,150
5	मोदीनगर सीमान्तर्गत सीकरी कलां में जी0टी0 रोड से रामपाल तक नालीव सी0सी0 द्वारा सड़क का कार्य।	564,400.00	2,82,200	2,82,200
6	मोदीनगर सीमान्तर्गत सीकरी कलां में जी0टी0 रोड से मनीष वशिष्ठ सेमनोज के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क का कार्य।	503,400.00	2,51,700	2,51,700
7	मोदीनगर सीमान्तर्गत सीकरी कलां में विक्की शर्मा के मकान से राजूशर्मा के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क का कार्य।	350,000.00	1,75,000	1,75,000
8	मोदीनगर सीमान्तर्गत मानवतापुरी गली नं0 04 महामानेश्वर शिव मन्दिर के पास सुभाष के मकान से पवन कुमार के मकान तक व अन्य दोनों साईड की सहायकगलियों में पाईप लाईन डालने का कार्य।	22,34,000.00	11,17,000	11,17,000
	योग	**1,39,78,000.00**	**69,89,000.00**	**69,89,000.00**

(रू0 उनहत्तर लाख नवासी हजार मात्र)

I/426658/2023 **नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों**

1. स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-5/2023-बी-1-322/ दस-2023, ई-पत्रावली सं0-10-5002/ 125/2021, दिनांक 02.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित निकाय को धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-2022-84ज/22, दिनांक 08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की गाईडलाईन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकायों को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
3. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।
4. कार्यों हेतु निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
6. कार्यों की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
7. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
8. प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।
9. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
10. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
11. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
12. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
13. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
14. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
15. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यों हेतु पूर्व में न तो राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
16. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कार्यादेश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेगें।
17. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक 08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स् अपलोड किये जायेंगे।
18. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 69,89,000 (रुपये उनहत्तर लाख नवासी हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217801920300 उच्चीकृत/ सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

Signed by संजय कुमार तिवारी
Date: 10-11-2023 13:50:51
Reason: Approved

संख्या- 21 (1)/ 2023/255न0सृ0यो0/9-2-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) मण्डलायुक्त, मेरठ ।
(7) जिलाधिकारी, गाजियाबाद ।
(8) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर, जनपद-गाजियाबाद ।
(9) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
(10) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
(12) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।